

क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

डी.डी.ए. शापिंग-कम्-ऑफिस, कपलैक्स, गुरुनानक भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

संख्या : डी/जीन-6 / बीमा-11 / डि० 34 xx 10-60639-161 दिनांक : 2 MAY 2003

सेवा में

मैसर्स **SUGANDHA ENTERPRISES**

HR-62-A, 60, FOOT ROAD

PUL PHELDAPUR, NEW DELHI-110044

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा 2 (12)/1 (5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना सं० एस०एफ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार के अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है।

स्थापनाओं का विवरण निम्नलिखित अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 29-3-75 के द्वारा बीमा निगम

के अधिनियम के अधीन स्थापित तारीखों के अनुसार (एसिक) योजना के तहत विस्तार की तारीख

1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भी दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।
एफ-27(2)/75-लेब 28-3-75
2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।
-वही- -वही-
3. निम्नलिखित स्थापनाएं जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे :
-वही- -वही-
1. होटल 2. रेस्तरां
3. पूर्व दर्शन थियेटर सहित सिनेमा
4. सड़क मोटर परिवहन एफ-27(2)/74-लेब 28-3-76
5. समाचार पत्र परिवहन दिनांक 26-3-76
6. दुकानें एफ-28(20)/38/आई.एम.पी.लेब 2-10-88
दिनांक 30-9-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक को यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदा की अदायगी करें।

क०प०उ०

NOTARY
ANIS AHMED
AREA MEERUT
& DELHI
REGN. No. 1956

ATTEST

The Registration of a contractor/
immediate employer independently
under the ESI Act as a shop or as a
factory with certificate number does not
absolve the principal employer of
his liability under section 41 (1)
and section 41.

9 JUL 2006

आपके द्वारा आपकी फैंक्टरी/स्थापना के संबंध में दिए गए स्वोरी सवि: दिनांक: **25-03-2003** को वीमा निरीक्षक/स्थानीय कार्यालय प्रबंधक द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फैंक्टरी/स्थापना तारीख **17-01-2003(P)** से **अंतिम** अंतिम रूप से अधिनियम की धारा 2(12) व 1(5) के अन्तर्गत व्याप्ति में आती है लेकिन यदि बाद के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फैंक्टरी/स्थापना उपरिलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त वर्णित तारीख से शामिल की जानी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख के अधिनियम के उपबंधों की पालना करने के लिए बाध्य होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपनी फैंक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन शामिल किये जाने की तारीख से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने घोषणा पत्र भरने तथा अंशदान की भुगतान करने रिकार्ड के अनुरक्षण आदि के संबंध में शीघ्र कारवाई करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी फैंक्टरी/स्थापना को कूट सं० **10-60639-101** आर्बिट्रि की गयी है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रादि में तथा फार्मों में निर्दिष्ट स्थानों पर इस कूट संख्या का प्रयोग करें।

OKHLA स्थित स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुरोध दिए गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप कृपया उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के संबंध से सम्पर्क करें जो मामले में आपकी अपेक्षित सहायता करेगा। निवेदन है कि आप अपनी फैंक्टरी/स्थापना में राज्य वीमा औपचार्यताओं की संलग्न सूची का प्रचार करें ताकि आपकी कर्मचारी अपने राज्य वीमा औपचार्यताओं का चुनाव कर सकें। सभी अपेक्षित फार्म आदि उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करें, उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी संबंध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य वीमा अंशदान स्वीकार करने वाली बैंक पर शाखाओं की सूची संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का चुनाव करें और उसकी शाखा इस कार्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक को संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य वीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हो आपके द्वारा जिस शाखा में राशि जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी फैंक्टरी स्थापना की नामजद शाखा मान लिया जाएगा।

निम्न कर्मचारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 की बाध्यताओं का पालन करने में आपकी सभी आवश्यक हर संभव सहायता करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम के उपबंधों तथा विनियमों का तत्परता से और समय पर पालन करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी प्रकार से संलग्न फार्म 01 विधिवत भरकर इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें।

Any change in the Address/Status of the unit or Ownership of the unit or in the bank account with reference to information supplied by you initially.

भवदीय,

कृते क्षेत्रीय निरीक्षक

संलग्न

In case of any difficulty please contact local office/regional office, for guidance.

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को प्रेषित

1. स्थानीय कार्यालय **OKHLA**
2. समन्वय शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु।
3. हितलाभ शाखा 3/4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. श्री/सुश्री..... वीमा निरीक्षक, प्रभाग सं०..... को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस फैंक्टरी की अंतिम व्याप्ति की तारीख निर्धारित करने का प्रयास करें। माह के अन्दर अवश्य पूर्ण करें।
5. गार्ड फाईल।
6. **Sh. M. K. Gour, Labour Officer.**
वीमा निरीक्षक 15, राजपुर रोड, दिल्ली को सूचना के लिए।
7. **R.P.F.C. BFFO, MAYUR BHAWAN, NEW DELHI**

E-20
I.P. Delhi/20,000/2001



NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

15 JUN 2006

कृते क्षेत्रीय निरीक्षक
30/4/03